



Neutral Citation No - 2026:AHC:16548

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 802/2026

श्रीमती फरहा नाज़

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, रोहित कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना ।
2. रिट याचिकाकर्ता का वाद यह है कि उसे 29.06.2013 को अनुबंध के आधार पर कानूनी अवधि परीवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने 03.11.2019 को शादी की और 22.12.2020 को एक बच्चे का जन्म हुआ। रिट याचिकाकर्ता ने 3 अक्टूबर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश का दावा किया है। रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि उसे फिर से 07.03.2022 से 31.08.2022 तक मातृत्व अवकाश लेना पड़ा। हालांकि, अब, 07.03.2022 से 31.08.2022 तक की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश को इस आधार पर ठुकरा दिया गया है कि पहले मातृत्व अवकाश के दो साल की अवधि के भीतर दूसरा मातृत्व अवकाश लिया जा रहा है। उप निदेशक, परीवीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, महिला कल्याण, मुरादाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.10.2022 के आदेश के आधार पर।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्रस्तुत किया गया है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उक्त आधार उपलब्ध नहीं है क्योंकि दो साल के प्रतिबंध को अवैध घोषित किया गया था। वह 21.10.2022 को तय की गई रिट-ए संख्या 9535/2022 (श्रीमती अनुपम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना चाहता है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि विचाराधीन आदेश कानून के जनादेश के अनुसार पारित नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए, विषय को एक नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाए।
6. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतिकरण को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. जाहिर तौर पर दूसरा मातृत्व अवकाश इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि यह दो साल के भीतर है जब पहला मातृत्व अवकाश प्राप्त किया गया है।
8. श्री आर.एस. उमराव इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि मामला अब कोई रेस इंटरग्रा नहीं है और श्रीमती अनुपम यादव (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना था कि उक्त वर्गीकरण अवैध है।
9. तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है। उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, महिला कल्याण, मुरादाबाद खंड , मुरादाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.10.2022 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मामले को दो महीने की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

22 जनवरी, 2026

राजेश